प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
13.11.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे पर आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सीपीएस एक्ट 2006 को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के फैसले के तहत प्रदेश में सभी 6 मुख्य संसदीय सचिवों को दी जा रही सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। अब ये 6 मुख्य संसदीय सचिव केवल विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। हिमाचल सरकार ने 6 सीपीएस की नियुक्ति जनवरी 2023 में की थी जिनमे आशीष बुटेल, किशोरीलाल, मोहन लाल ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार और सुंदर सिंह ठाकुर को सीपीएस नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने सीपीएस नियुक्ति पर सीपीएस एक्ट 2006 का हवाला दिया था जिस पर लम्बी बहस के बाद प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बैंच न्यायाधीश बीसी नेगी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने आज अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय में एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने असम मामले का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाया है जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस एक्ट असम एक्ट से अलग था।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश उच्च न्यायालय के सीपीएस मामले पर दिए गए फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि अदालत के इस महत्वपूर्ण फैसले ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हुए अपने कार्यकाल के 2 साल व्यतीत कर दिए। बिंदल ने कहा कि प्रदेश के पैसे का लगातार दुरूपयोग हुआ और 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाकर उनको मंत्रियों के बराबर शक्तियां देना गैर कानूनी व संविधान के खिलाफ रहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 6 मुख्य संसदीय सचिव की शक्तियों व कानून को समाप्त करने का फैसला स्वागत योग्य है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और अनछुए पर्यटन गंतव्य का अनुभव प्रदान करना व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल में स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा, जिससे आजीविका के अवसर सृजित होंगे व पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों को प्रभावी तरीके से लागू करने को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में इको–टूरिज्म गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में बनाई गई इको–टूरिज्म नीति को इन लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक नया तंत्र विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्यटन स्थलों, नदियों और कई ट्रेकिंग स्थलों को देखने के लिए प्रदेश में हर वर्ष 2 करोड़ से भी अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वे आज किन्नौर जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कानम के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आरम्भ कर दी गई है। इस दौरान राजस्व मंत्री ने पाठशाला कानम के विद्यार्थियों को शिक्षा व अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया।

दक्षता परीक्षा

राज्य चयन आयोग ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड–1001 और स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड–995 के पदों की लिखित परीक्षा में शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की शार्टहैंड और टाइपिंग दक्षता परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है। आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने बताया कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड–1001 की शार्टहैंड और टाइपिंग दक्षता परीक्षा 23 नवंबर को सुबह 9 बजे आयोग

की कंप्यूटर लैब में होगी। स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट कोड–995 की शार्टहैंड और टाइपिंग दक्षता परीक्षा भी इसी दिन दोपहर बाद 2 बजे होगी। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि भारत और आस्ट्रेलिया परम्परागत मित्र देश है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अध्ययन प्रवास के दौरान आस्ट्रेलयिा के ब्रिस्बेन में विभिन्न मामलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आस्ट्रेलिया और भारत का आपस में वाणिज्यिक, औद्योगिक, पर्यटन और खेलों से दशकों से जुड़ाव रहा है।

———————————